Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 52–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 22, 2022 (CHAITRA 1, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd March, 2022

No. 17-HLA of 2022/29/6338.— The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 17-HLA of 2022

THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2022.

(2) It shall come into force with effect from the 1st April, 2022.

Amendment of section 3 of Haryana Act 2 of 1975.

2. In sub-section (2) of section 3 of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975,–

(i) in clause (a), for the word "ninety", the words and sign "seventy-five" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the word "ninety", the words and sign "seventy-five" shall be substituted;

(iii) for the sign ":", the sign "." shall be substituted; and

(iv) the existing proviso shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 3 of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975, every member of the Haryana Legislative Assembly is provided the compensatory allowance at the rate of rupees ten thousand per mensem only if he attends at least 90% of the total number of meetings in a month and if he fails to attend 90% of the total number of meetings in a month, he is provided Rs. 100/- for every meeting actually attended by him as such member unless he satisfies the Secretary of the Assembly that he was prevented by reason of ill-health or any other sufficient cause from attending the required number of meetings.

During the recent past, various members have from time to time individually and collectively approached the Hon'ble Speaker and stated that, it is very difficult to attend at least 90% of the total number of meetings in a month due to unavoidable engagements in their assembly constituencies and suggested that the condition of attending at least 90% meetings in a month may be relaxed to 75%.

Considering the above suggestion, the Bill seeks to amend in sub-section 2 of section 3 of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 22nd March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 17 एच.एल.ए.

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2022

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2022 से लागू होगा।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप–धारा (2) में,– 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3 का संशोधन।

(i) खण्ड (क) में, ''नब्बे'' शब्द के स्थान पर, ''पचहत्तर'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ख) में, ''नब्बे'' शब्द के स्थान पर, ''पचहत्तर'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) '':'' चिह्न के स्थान पर, ''।'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(iv) विद्यमान परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत, हरियाणा विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह दस हजार रूपये प्रदान किया जाता है, यदि वह एक महीने में बैठकों की कुल संख्या में कम से कम 90% भाग लेता है और यदि वह एक महीने में बैठकों की कुल संख्या के 90% में भाग लेने में विफल रहता है, तो उसे प्रत्येक बैठक के लिए 100/– रूपये प्रदान किए जाते है, जो वास्तव में ऐसे सदस्य के रूप में उसके द्वारा भाग लिया जाता है जब तक की वह सभा के सचिव को सतुष्ट न कर दे कि ख़राब स्वास्थ्य या किसी अन्य पर्याप्त कारण से आवश्यक संख्या में बैठकों में भाग लेने से रोका गया था।

हाल के दिनों में, विभिन्न सदस्यों ने समय–समय पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया और कहा कि अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अपरिहार्य व्यस्तताओं के कारण एक महीने में बैठकों की कुल संख्या में से कम से कम 90% में भाग लेना बहुत मुश्किल है तथा सुझाव दिया कि एक महीने में कम से कम 90% बैठकों में भाग लेने की शर्त में 75% तक छूट दी जा सकती है ।

उपरोक्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए, विधेयक हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप धारा 2 में संशोधन करने का प्रयास करता है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 22 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।